

20/03/19

न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

56



वाद सं०- M-24 / 2019

धारा-107 द०प्र०सं०

भारत सरकार

बनाम

ममूर मही वगैरह

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	<p>अभिलेख सं०-एम. 24 / 2019, में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी <u>सोनालु (राँचे)</u> के अप्राथमिकी सं०- 05/19 दिनांक- 25-03-19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>लोकसभा चुनाव को लेकर राँचे को०पी०देपिकी सं० 10/19 दिनांक 25-03-19 जिससे विधि व्यतस्या की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उरी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 03/04/19 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="319 1859 606 2016"> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> </div> <div data-bbox="973 1859 1292 2016"> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> </div> </div>	


आदेश की क्रम सं० एवं  
तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश  
कार्रवाई  
तारीख सहित

25-05-19

अभिलेख उपस्थापित । दिवाय पंत  
अधिवक्ता हावरी । लोक समा-उनाव  
२०१७ शान्त पुनी २०५ से सम्पन्न है  
गया है अतः बाद में अभिलेख की  
कार्रवाई बन्द की जाती है

  
25/05/19